न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या :– 17 / 2022

गिरधारी सिंह पुत्र स्व. कालूसिंह, उम्र 61 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी निराधनू, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

– निगरानीकार

–बनाम–

1. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. कालूसिंह, उम्र 63 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी निराधनू, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
2. ग्राम पंचायत निराधनू जरिये सरपंच ग्राम पंचायत निराधनू, पंचायत समिति अलसीसर, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

– गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0पंचायती राज अधिनियम 1994,
विरूद्ध आदेश दिनांक 05.02.2011 प्रस्ताव संख्या कुछ नहीं
पत्रावली संख्या कुछ नहीं महेन्द्रसिंह पुत्र स्व कालूसिंह निराधनू
पट्टा संख्या 002 के बाबत

उपस्थितिः–

1. श्री द्वारका प्रसाद वर्मा, एडवोकेट –––––––निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री रविराज, एडवोकेट–––––––––––––––गैर निगरानीकार सं. 1 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 21.07.2023

उक्त निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, विरूद्ध ग्राम पंचायत निराधनू द्वारा श्री महेन्द्र सिंह को प्रस्ताव दिनांक 05.1.2011 के क्रम में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 05.02.2011 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि –'' ग्राम पंचायत निराधनू का निगरानीधीन प्रस्ताव व उसके तहत जारी निगरानीधीन पट्टा संख्या–2 विरूद्ध कानून व पत्रावली होने से खारीज होने योग्य है। गैर निगरानीकर्ता नंबर–1 महेन्द्र सिंह ने पट्टा चाहने बाबत आवेदन पत्र गैर निगरानीकर्ता नंबर 2 के समक्ष प्रस्तुत करना बताया है जबकि उक्त पट्टा चाहने बाबत तथाकथित आवेदन पत्र, नजरी नक्शा व ग्राम पंचायत निराधनू के पंचों की कमेटी द्वारा स्थल का निरीक्षण रिपोर्ट सहित पत्रावली गैर निगरानीकर्ता नंबर–2 के पास उपलब्ध नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि गैर निगरानीकर्ता नंबर–2 द्वारा जारी तथाकथित उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

पट्टा संख्या–2 दिनांक 10.2.2011 फर्जी है, इसलिए उक्त पट्टा संख्या–2 दिनांक 10.2.2011 काबिले खारिज है। गैर निगरानीकारान ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के तहत 145 :1: व 145:2: की पालना नहीं की गई तथा गैर निगरानीकार नंबर 1 ने गैर निगरानीकार नंबर 2 के समक्ष अपना तथाकथित कब्जा होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया ना ही गैर निगरानीकर्ता नंबर 1 द्वारा अपने सशपथ बयान भी किये गये। गैर निगरानीकार नंबर 1 ने उक्त पट्टा नंबर 02 चाहने बाबत कोई प्रार्थना पत्र गैर निगरानीकार नंबर 2 के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि तथा कथित पट्टा नंबर 02 जारी करने बाबत पत्रावली गैर निगरानीकार नंबर 2 के पास उपलब्ध नहीं है, इससे साफ जाहिर होता है कि उक्त पट्टा बिना विधिक प्रकिया अपनाये फर्जी जारी किया गया है।

निगरानीकार ने यह भी कथन किया है कि गैर निगरानीकार नंबर 1 द्वारा पट्टा चाहने बाबत यदि प्रार्थना पत्र गैर निगरानीकार नंबर 2 के समक्ष प्रस्तुत किया है तो गैर निगरानीकार नंबर 2 ने कानून के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं की है, इसके संबंध में गैर निगरानीकार नंबर 2 द्वारा राष्ट्रीय अखबार में सूचना प्रकाशित नहीं करवाई गई ना ही अन्य अखबार में प्रकाशित करवाई एवं न ही ग्राम पंचायत पटल पर चस्पा की गई और ना ही आस पास के व्यक्तियों से जानकारी ली गई ना ही निगरानीकार को कोई सूचना दी गई, ना ही कानून के प्रावधानों के मुताबिक रिकार्ड लिया गया व रिपोर्ट प्राप्त की गई। गैर निगरानीकार नंबर 2 द्वारा बिना कानूनी प्रावधानों की पालना किये निगरानीधीन पट्टा संख्या 02 जारी करने में कानूनी भूल की है।

निगरानीकार ने यह भी कथन किया है कि गैर निगरानीकार नंबर 2 द्वारा तथाकथित पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम के नियम 157 के तहत जारी करना कथित किया है, जबकि नियम 157 में पुराने गृहों के संबंध में ही पट्टा जारी करने का नियम है। तथाकथित पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम के नियम 140 से 157 तक की पालना नहीं की गई है। नियम 156 के तहत पुराने कब्जे की जांच कर आपसी बातचीत से पट्टा जारी करना चाहिए था परन्तु ग्राम पंचायत ने इस तरफ गौर न कर मनमाने रूप से साजसी व फर्जी पट्टा जारी किया है । गैर निगरानीकार नंबर 1 के कब से विवादित जमीन कब्जे में थी किस आधार पर स्वत्व का दावा करता है तथा ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे जारी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं लिया तथा बिना कानूनी प्रावधानों की पालना किये ही तथाकथित पट्टा जारीकरने का आदेश व पट्टा जारी करन में कानूनी भूल की है। तथकथित पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा कोई संकल्प नहीं किया गया। गैर निगरानीकार नंबर 2 द्वारा गैर निगरानीकार नंबर 1 के हक में जारी किया गया पट्टा अवैध एवं फर्जी है व आपराधिक षड़यन्त्र रचकर जारी किया गया है, उक्त पट्टे पर सरपंच ग्राम पंचायत के फर्जी हस्ताक्षर किये गये है जिसके संबंध में निगरानीकर्ता ने फौजदारी प्रकरण दर्ज करवा रखा है जो विचाराधीन है। गैर निगरानीकार नंबर 1 महेन्द्रसिंह ने गैर निगरानीकार नंबर 2 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

जिस जमीन का पट्टा जारी करवाया है, उस जमीन मय मकानात में निगरानीकार का हक हिस्सा है। बिना उक्त पैत्रिक जमीन व मकानता का विधिवत विभाजन हुये एक व्यक्ति पट्टा जारी नहीं करवा सकता है, इसलिए बिना हक व हिस्सेदारों को सुनवाई का अवसर दिये एक तरफा पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा 1 माह का आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया। अंत में निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर निगरानीकार नंबर 2 ग्राम पंचायत निराधनू द्वारा गैर निगरानीकार नंबर 1 के हक में पारित पट्टा आदेश दिनांक 05.2.2011 व उसके आधार पर जारी पट्टा संख्या 2 दिनांक 10.2.2011 को निरस्त करने का आदेश दिया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि –" ग्राम पंचायत निराधनू द्वारा गैर निगरानीकार नंबर 1 को जारी पट्टा संख्या–2 दिनांक 10.2.2011 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के पट्टा जारी करने के नियमों एवं विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना ही जारी किया गया है। गैर निगरानीकार नंबर 1 ने गैर निगरानीकार नंबर 2 के समक्ष अपना तथाकथित कब्जा होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया ना ही गैर निगरानीकर्ता नंबर 1 द्वारा अपने सशपथ बयान भी किये गये। गैर निगरानीकार नंबर 1 ने उक्त पट्टा नंबर 02 चाहने बाबत कोई प्रार्थना पत्र गैर निगरानीकार नंबर 2 के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया । तथाकथित पट्टा नंबर 02 जारी करने बाबत पत्रावली गैर निगरानीकार नंबर 2 के पास उपलब्ध नहीं है। उक्त पट्टा बिना विधिक प्रकिया अपनाये फर्जी जारी किया गया है। गैर निगरानीकार नंबर 2 द्वारा गैर निगरानीकार नंबर 1 के हक में जारी किया गया पट्टा अवैध एवं फर्जी है व आपराधिक षड़यन्त्र रचकर जारी किया गया है। उक्त पट्टे पर सरपंच ग्राम पंचायत के फर्जी हस्ताक्षर किये गये है जिसके संबंध में निगरानीकर्ता ने फौजदारी प्रकरण दर्ज करवा रखा है जो विचाराधीन है। गैर निगरानीकार नंबर 1 महेन्द्र सिंह ने गैर निगरानीकार नंबर 2 से जिस जमीन का पट्टा जारी करवाया है, उस जमीन मय मकानात में निगरानीकार का हक हिस्सा है। बिना उक्त पैत्रिक जमीन व मकानता का विधिवत विभाजन हुये एक व्यक्ति पट्टा जारी नहीं करवा सकता है, इसलिए बिना हक व हिस्सेदारों को सुनवाई का अवसर दिये एक तरफा पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा 1 माह का आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया। तथाकथित पट्टा बिना विधिक प्रकिया अपनाये जारी किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अतः गैर निगरानीकार नंबर 2 ग्राम पंचायत निराधनू द्वारा गैर निगरानीकार नंबर 1 के हक में पारित पट्टा आदेश दिनांक 05.2.2011 व उसके आधार पर जारी पट्टा संख्या 2 दिनांक 10.2.2011 को निरस्त किया जावे, आदि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

दौराने बहस वकील गैर निगरानीकार ने बताया कि निगरानी चलने योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार नंबर–1 ने कथन किया कि गैर निगरानीकार के पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत निराधनू द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत विधिक प्रकिया अपनायी जाकर गैर निगरानीकार नंबर 1 महेन्द्रसिंह को पट्टा संख्या–02 दिनांक 10.02.2011 को जारी किया गया है। उक्ट पट्टे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्टर्ड पट्टे को सिविल न्यायालय ही निरस्त कर सकता है। निगरानीकार की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण पट्टा संख्या 02 दिनांक 10.20.2011 के संबंध में ग्राम पंचायत निराधनू का रिकार्ड बैठक कार्यवाही विवरण एवं पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत निराधनू द्वारा आबादी भूमि में गैर निगरानीकार नंबर 1 महेन्द्रसिंह के पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा संख्या 02 प्रस्ताव संख्या 5.2.2011 द्वारा राज0 पंचायती राज के नियम 1996 के नियम 157 के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का कथन है कि –"ग्राम पंचायत निराधनू द्वारा गैर निगरानीकार नंबर 1 को जारी पट्टा संख्या–2 दिनांक 10.2.2011 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के पट्टा जारी करने के नियमों एवं विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना ही जारी किया गया है। गैर निगरानीकार नंबर 1 ने गैर निगरानीकार नंबर 2 के समक्ष अपना तथाकथित कब्जा होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया ना ही गैर निगरानीकर्ता नंबर 1 द्वारा अपने सशपथ बयान किये गये और ना ही उक्त पट्टा नंबर 02 चाहने बाबत कोई प्रार्थना पत्र गैर निगरानीकार नंबर 2 के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया । उक्त पट्टा बिना विधिक प्रकिया अपनाये फर्जी जारी किया गया है, जिसके संबंध में निगरानीकर्ता ने फौजदारी प्रकरण दर्ज करवा रखा है जो विचाराधीन है। गैर निगरानीकार नंबर 1 महेन्द्रसिंह ने गैर निगरानीकार नंबर 2 से जिस जमीन का पट्टा जारी करवाया है, उस जमीन मय मकानात में निगरानीकार का हक हिस्सा है। बिना उक्त पैत्रिक जमीन व मकानता का विधिवत विभाजन हुये एक व्यक्ति पट्टा जारी नहीं करवा सकता है, इसलिए बिना हक व हिस्सेदारों को सुनवाई का अवसर दिये एक तरफा पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा 1 माह का आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया। तथाकथित पट्टा बिना विधिक प्रकिया अपनाये जारी किया गया है जो निरस्त होने योग्य है।

उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा ग्राम पंचायत निराधनू का उक्त पट्टा संख्या 02 दिनांक 10.2.2011 के संबंध में रिकार्ड बैठक कार्यवाही विवरण एवं पट्टा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत निराधनू की पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण रजिस्टर में दिनांक 5.01.2011 को प्रस्ताव संख्या 1 में अंकित किया गया है कि– "

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:03 IST
Reason: SelfAttested

आज की बैठक में आवासीय पट्टा बनाने हेतु निम्न आवेदन पत्र प्राप्त हुये – (1) श्री महेन्द्र सिंह पुत्र कालू सिंह राजपूत आवासीय गृह पट्टा वार्ड नं.11 उसके बाद (2) व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

(3) " लिखकर लाईन––खाली हैं। इस बैठक की तारीख में भी पूरी ~~तहर~~ तराश–कांट–छांट की गई है। इस बैठक में उक्त प्रस्ताव संख्या–1 के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। प्रस्ताव संख्या–1 में गैर निगरानीकार नंबर 1 श्री महेन्द्रसिंह का पट्टा आवेदन पत्र प्राप्त करने का उल्लेख है, लेकिन इस आवेदन पर कोई सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मौका/स्थल निरीक्षण हेतु पंचों की कोई कमेटी गठित की गई हो ऐसा कोई अंकन बैठक कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या–1 दिनांक 05.01.2011 में अंकित नहीं है। बैठक कार्यवाही विवरण में बैठक दिनांक 20.11.2010 के बाद माह दिसम्बर 2010 में किसी बैठक का विवरण अंकित नहीं है। बैठक दिनांक 20.01.2011 के कार्यवाही विवरण में प्रस्ताव संख्या–1 जो उस दिन की कार्यवाही रजिस्टर में लिखित नोटिंग से पृथक स्याही/पैन का प्रयोग करते हुये अंकित किया गया है कि–

" ग्राम पंचायत की चालू बैठक में ग्राम सेवक ने बताया कि पिछली बैठक में श्री महेन्द्र सिंह पुत्र कालूसिंह जाति राजपूत के आवास का पट्टा बनाने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ था जिस पर आस–पड़ौस के लोगों को पट्टा बनाने हेतु कोई एतराज नहीं है। अतः सदन के समक्ष पट्टा बनाने पत्रावली पेश है। पत्रावली का अवलोकन कर सदन में विचार–विमर्श कर निर्णय लिया कि सरपंच महोदय प्रार्थी को पट्टा बना दे। उक्त प्रस्ताव का आज की बैठक में सर्व सम्मति अनुमोदन किया गया ।"

ग्राम पंचायत निराधनू की पंचों की बैठक दिनांक 05.2.2011 के कार्यवाही विवरण रजिस्टर के प्रस्ताव संख्या–1 में अंकित किया गया है कि –

" चालू बैठक में ग्राम सेवक ने बताया कि पिछली बैठक की पट्टा बनाने हेतु आवेदन आये व उन पर कोई एतराज नहीं है। अतः सरपंच महोदय ने बताया कि जिन आवेदनों पर कोई एतराज नहीं है उनको पट्टा बना दे। सदन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया व स्वीकृति प्रदान की गई। आज की बैठक में निम्न व्यक्तियों को पट्टा बनाने की स्वकृति प्रदान की जाती है। (1) श्री महेन्द्रसिंह पुत्र कालू सिंह राजपूत वार्ड नंबर 11 "। इस कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 5.2.2011 की बैठक के बाद कोई बैठक कार्यवाही अंकित नहीं है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकण में पट्टा जारी करने के लिए राजस्थान पंचायती राज नियमों एवं विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना ही उक्त पट्टा संख्या–2 दिनांक 10.2.2011 को श्री महेन्द्र सिंह को जारी किया गया है। उक्त पट्टा संख्या–2 जारी करने से पूर्व गैर निगरानीकार संख्या–1 का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर 3 पंचों की कमेटी का गठन कर नियमानुसार स्थल निरीक्षण शुल्का जमा करवाने स्थल निरीक्षण/मौका निरीक्षण की रिपोर्ट पर प्राप्त की जानी थी जिसका कार्यवाही रजिस्टर में कोई अंकन नहीं है। कार्यवाही रजिस्टर में मौका कमिश्नर/स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने का या कमेटी गठन के संबंध में कार्यवाही रजिस्टर में कोई त[illegible] नहीं हैं। उक्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अंत में दोनों बैठक में [illegible] एक प्रस्ताव [illegible]या–1 श्री महेन्द्रसिंह को पट्टा दिये जाने के लिए पारित किया [illegible] कोई प्रस्ताव पारित हो, ऐसा कार्यवाही रजिस्टर में नहीं पाया गया। हस्तगत पट्टा संख्या–02 श्री महेन्द्र सिंह के संबंध

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

में पुलिस थाना बिसाऊ में मुकदमा संख्या 14/2021 दर्ज हुआ है। ग्राम पंचायत निराधनू की उक्त पट्टा संख्या–2 के संबंध में पत्रावली नहीं है। निगरानीकार का कथन है कि विवादित भूमि पैत्रिक भूमि है जिसका विभाजन नहीं हुआ और ना ही निगरानीकार की पट्टा जारी करने से पूर्व सहमति ली गई है, ना ही मौके पर कोई आपत्ति नोटिस चस्पा हुआ और ना ही आपत्ति नोटिस, पंचों की मौका निरीक्षण रिपोर्ट व गैर निगरानीकार द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु किया गया आवेदन ग्राम पंचायत निराधनू की पट्टा पत्रावली में है और ना ही इस संबंध में कार्यवाही रजिस्टर में कोई अंकन है।

इस प्रकार प्रकरण में ग्राम पंचायत निराधनू द्वारा उक्त पट्टा संख्या–2 दिनांक 10.2.2011 श्री महेन्द्र सिंह को जारी करने से पूर्व विधिक प्रकिया एवं पंचायती राज नियम 1996 के नियमों की अवहेलना कर उक्त पट्टा संख्या–02 श्री महेन्द्र सिंह को जारी किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायाचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत निराधनू द्वारा संकल्प दिनांक 05.02.2011 की अनुपालना में श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. कालूसिंह राजपूत के नाम से जारी पट्टा संख्या–02 दिनांक 10.02.2011 को निरस्त किया जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:03 IST
Reason: SelfAttested